पुरूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

चूरू - 22 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-

श्री हरलाल सहारण गाँव व पोस्ट-खासोली तहसील चूरू व जिला चूरू (राज.) पिन-331001 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने की जिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान चूरू दिनांक 03.12.2023

(अनिल कुमार)

रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 22-चूरू (एस.डी.एम.) चूरू

(अनिल चुमार) रिटर्निंग अधिकारी इस खड़ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट चूड़ विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र जूळ (22)

FORM -21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the people Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of the Rajasthan state from the (22) CHURU Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri HARLAL SAHARAN VPO-KHASOLI TEHSIL-CHURU DISTRICT-CHURU (RAJ.) PIN-331001 sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Churu

Dated 03-12-2023

(Anil Kumar)
Returning Officer
Assembl-y Constituency Churu (22)
(S.D.M.) Churu

Returning Officer
Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate, Churu
Assembly Constituency (22)